



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु आवंटन पत्र (प्रोविजनल)

रजिस्ट्रेशन सं० 18190002456

श्रीमती संगीता चौहान,
पत्नी श्री सुखराम चौहान,
निवासी:-डी-1, 44/ए आश्रम भवन,
आशियाना फेज द्वितीय कांठ रोड, मुरादाबाद।

पत्रांक 129 मु०वि०प्रा/सम०अनु०/2021

दिनांक:- 26/03/2021

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत भवन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त के सम्बन्ध में हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवंटन लॉटरी ड्रॉ दिनांक 10.11.2020 में आपको सोनकपुर परियोजना में भवन सं० TF-61 आवंटित किया गया है। भवन का अनुमानित क्षेत्रफल 33.06 वर्ग मीटर है। भवन की सबसीडाइज्ड कीमत शासन द्वारा रू० 4,50,000.00 निर्धारित की गयी है, जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा रू० 1,50,000.00 तथा राज्य सरकार द्वारा रू० 1,00,000.00 अनुदान के रूप में दिया गया है। अवशेष धनराशि रू० 2,00,000.00 में से आप द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि रू० 5,000.00 समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि पांच वर्षों में 60 मासिक किस्तों में रू० 4,096.00 प्रतिमाह जमा कराया जाना है। प्रथम किस्त भुगतान की अंतिम तिथि 31.03.2021 है।

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. योजना का नाम:- | प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) |
| 2. परियोजना स्थल:- | सोनकपुर |
| 3. आवंटित भवन सं०:- | TF-61 |
| 4. किस्तों की संख्या: | 60(60वीं किस्त की अन्तिम भुगतान तिथि 28.02.2026) |
| 5. किस्त की धनराशि:- | रू० 4,096.00 प्रतिमाह |
| 6. किस्त में ब्याज की दर | 9.5 प्रतिशत वार्षिक |

नियम व शर्तें:-

- भवन का अनुबन्ध निष्पादित कराने के उपरान्त कब्जा दिया जायेगा।
- किस्त जमा करने हेतु चालान निर्दिष्ट बैंक से प्राप्त करना होगा।
- निर्दिष्ट अवधि में भुगतान न किये जाने पर अगले एक माह तक किस्तों में देय ब्याज के अतिरिक्त 02 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक ब्याज लगेगा। इसके पश्चात ब्याज की दर बढ़ने, भुगतान की अवधि बढ़ाने या आवंटन को निरस्त करने अधिकार उपाध्यक्ष, मु०वि०प्रा० को सुरक्षित है।
- आपको किस्त जमा करने के लिए इस पत्र के पश्चात अन्य कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी। अतः निर्धारित अवधि में निर्देशानुसार किस्त जमा करते रहें।
- उक्त सम्पत्ति की समस्त कीमत का भुगतान करने के पश्चात सम्पत्ति का पट्टा विलेख रजिस्टर्ड कराना होगा।


6. यदि आप द्वारा दिया गया कोई विवरण भविष्य में प्रतिकूल/असत्य/मिथ्या पाया जाता है, तो प्राधिकरण को भवन आवंटन एवं निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
7. भवन आवंटन की तिथि से 10 वर्षों तक आवंटी बगैर प्राधिकरण की अनुमति के भवन को विक्रय नहीं करेगा और न ही किराये पर देगा। आवंटी को भवन में स्वयं निवास करना होगा। आवंटी द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर भवन का आवंटन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
8. यदि आपके द्वारा प्राधिकरण के निर्धारित प्रारूप पर शपथ-पत्र जमा नहीं किया गया है तो पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर वांछित प्रारूप पर शपथ पत्र जमा कर दें एवं आरक्षित श्रेणी का यदि लाभ लिया गया है तो सम्बन्धित पत्र भी जमा कराये जाने आवश्यक होंगे अन्यथा आपका आवंटन वैध नहीं माना जायेगा। आवंटित सम्पत्ति का कब्जा "मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद किराया किस्त क्रय किरायेदारी का अनुबन्ध पत्र निबन्धन के पश्चात ही सौंपा जायेगा।
9. आवंटी द्वारा लीजरेंट, सीवर व वाटर कनेक्शन शुल्क तथा अनुरक्षण शुल्क प्राधिकरण में प्रचलित दरों के अनुसार जमा कराने होंगे।

सम्पत्ति प्रभारी,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।

प्रतिलिपि:-

1. कम्प्यूटर अनुभाग को उपरोक्तानुसार विवरण दर्ज किये जाने हेतु।




26.3.21
सम्पत्ति प्रभारी,